भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2395
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पंजाब में नशीली दवाओं का खतरा

†2395. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह पुष्टि करने के बाद की केंद्र सरकार पंजाब के सामने उत्पन्न नशीली दवाओं के संकट से निपटने में पंजाब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है, सरकार ने 2022 में अमृतसर में फोरेंसिक लैब स्थापित करने तथा एन.सी.बी. खोलने की घोषणा की थी, तथा उक्त वादे की स्थिति क्या है और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है;
(ख) क्या मंत्रालय ने पंजाब में नशीली दवाओं के दुरूपयोग की स्थिति और इसके प्रसार का विश्लेषण करने के लिए कोई आकलन करवाया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार पंजाब में युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई निवारक और रचनात्मक उपाय कर रही है या करने की योजना बना रही है, जिसमें कोई विशेष रोजगार के अवसर भी शामिल हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): अमृतसर में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की एक मंडलीय यूनिट फरवरी, 2023 में पूर्णरूप से कार्यात्मक कर दी गई है। तदनंतर, उप महानिदेशक की अध्यक्षता में उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के लिए एनसीबी का एक क्षेत्रीय कार्यालय जुलाई, 2023 में अमृतसर में कार्यात्मक कर दिया गया है। जहां तक फॉरेंसिक

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2395, दिनांक 06.08.2024

प्रयोगशाला का संबंध है, भारत सरकार ने पंजाब राज्य को 7.98 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, ताकि राज्य फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में डीएनए विश्लेषण, साइबर फॉरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। फॉरेंसिक संबंधी क्षमताओं के आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत राज्य फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला (एसएफएसएल) के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों और मशीनों तथा उपकरणों के संबंध में पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख): वर्ष 2018 के दौरान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के राष्ट्रीय व्यसन निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी) के माध्यम से भारत में मादक पदार्थों के प्रयोग के विस्तार और स्वरूप पर व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट फरवरी, 2019 में जारी की गई थी। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, पंजाब में मादक पदार्थों के दुरुपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मादक पदार्थ	**वयस्क (आयु 18-75)**	
	प्रयोग का विस्तार (%)	**प्रयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या**
कैनाबिस	14.23	30,68,000
अफीम जनित मादक पदार्थ	9.91	21,36,000
कोकिन	0.69	1,50,000
एमफेटामाइन जैसे उत्तेजक	0.63	1,36,000

स्रोतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2022 के संबंध में प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-2022 के दौरान पंजाब राज्य में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज मामलों एवं की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है-

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2395, दिनांक 06.08.2024

क्र.सं.	वर्ष	दर्ज मामलों की सं.	गिरफ्तार व्यक्तियों की सं.
1	2018	11654	14983
2	2019	11536	16296
3	2020	6909	11455
4	2021	9972	14078
5	2022	12442	17853

स्रोतः क्राइम इन इंडिया, 2022 एनसीआरबी

(घ): सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) राज्य में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) स्थापित की गई है।

(ii) विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय और रियल टाईम आधार पर आसूचना को साझा करना।

(iii) महत्वपूर्ण और बड़ी जब्तियों की जांच की निगरानी के लिए, महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है।

(iv) सरकार ने 1933-मानस हेल्पलाइन शुरू की है, जिसे संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों की सूचना देने के लिए नागरिकों हेतु एक एकीकृत मंच के रूप में डिजाइन किया गया है।

(v) स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सहित सीमा रक्षक बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के मामले में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत रेलवे मार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी की जांच करने का अधिकार दिया गया है।

(vi) पंजाब राज्य की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण की दिशा में, एनसीबी लगातार बीएसएफ और अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है।

(vii) अतिरिक्त विशेष निगरानी उपकरण, वाहन आदि तैनात करके निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा पर विस्तृत संवेदनशीलता मैपिंग की गई है।

(viii) सीमा पर चौबीसों घंटे निगरानी यथा गश्त लगाकर, नाके लगाकर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी चौकियों पर तैनाती करके सीमाओं पर कारगर प्रभुत्व स्थापित करना।

(ix) अंधेरे के दौरान क्षेत्र को रोशन करने के लिए सीमा सुरक्षा बाड़ पर बॉर्डर फ्लड लाइट लगाना।

(x) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नदी वाले क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए वॉटर क्राफ्टों/बोटों और फ्लोटिंग सीमा चौकियों का इस्तेमाल।

(xi) आसूचना नेटवर्क को मजबूत बनाना और सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

(xii) भारत - पाकिस्तान सीमा पर दुश्मन के दुष्ट ड्रोनों के खतरे के विरुद्ध ड्रोन-रोधी प्रणाली (एडीएस) स्थापित की गई है।

(xiii) सरकार ने ''मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)'' तैयार करके इसे कार्यान्वित किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार, पंजाब राज्य सहित पूरे देश के युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या के समाधान के लिए एक निरंतर और समन्वित कार्रवाई कर रही है। इसमें निम्नलिखित कार्रवाई शामिल हैं-

(क) पंजाब के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू करना। इस अभियान के तहत पंजाब राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं और 27,000 महिलाओं सहित इसने 5.5 लाख से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाई है।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में 10 व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ) प्रदान की जा रही हैं।

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2395, दिनांक 06.08.2024

(ग) सरकार द्वारा नशामुक्ति के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 चलाई जा रही है।

(घ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा छात्रों (6ठी-11वीं कक्षा), शिक्षकों और अभिभावकों को मादक पदार्थों पर निर्भरता से निपटने से संबंधित रणनीतियों एवं जीवन कौशल के बारे में जागरूक करने के लिए नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

(ङ) ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस अभियान के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जागरूकता फैलाना।

(च) एनएमबीए से संबंधित गतिविधियों के आंकड़े एकत्र करने और उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए एनएमबीए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करना।

(छ) एनएमबीए की वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) प्रयोक्ता/दर्शक को इस अभियान, ऑनलाइन चर्चा संबंधी फोरम, एनएमबीए डैशबोर्ड और ई-शपथ के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

(ज) एनएमबीए की सहायता करने और जन जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मकुमारी और संत निरंकारी मिशन, श्री राम चंद्र मिशन, अखिल विश्व गायत्री परिवार और इस्कॉन जैसे धार्मिक/सामाजिक सेवा संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

****